

RERA - हरियाणा ने कंट्रीवाइड प्रमोटरस प्राइवेट लमिटेड पर जुर्माना लगाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा रयिल एस्टेट नयामक प्राधकिरण (HRERA), गुरुग्राम ने भ्रामक वजिजापन प्रकाशति करने के लयि कंट्रीवाइड प्रमोटरस प्राइवेट लमिटेड पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

मुख्य बदि:

- प्राधकिरण के अनुसार, [रयिल एस्टेट \(वनियिमन और वकिस\) अधनियिम 2016](#) की धारा 11(2) और 13(1) के तहत अनविर्य प्रावधानों के बावजूद प्रमोटर ने वजिजापन में वविरण का उचति तरीके से वर्णन नहीं कयिा, जो अधनियिम की धारा 61 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
- कंट्रीवाइड प्रमोटरस प्राइवेट लमिटेड, वर्ष 2021 में RERA पंजीकरण प्राप्त करने के बाद [दीन दयाल जन आवास योजना](#) अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी- 2016 के तहत एक कफियती प्लॉटेड कॉलोनी वकिसति कर रहा है।

हरियाणा रयिल एस्टेट नयामक प्राधकिरण (HRERA)

- रयिल एस्टेट (वनियिमन और वकिस) अधनियिम, 2016 के तहत, हरियाणा सरकार ने हरियाणा रयिल एस्टेट (वनियिमन और वकिस) नयिम, 2017 को अधसूचति कयिा है जो 28 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
- इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - इसके सामंजस्यपूर्ण वकिस के लयि रयिल एस्टेट क्षेत्र को वनियिमति करना।
 - रयिल एस्टेट परयिोजनाओं के प्रमोटरों और अपार्टमेंट के खरीदारों के बीच लेन-देन में पारदर्शति लाना।
 - यह सुनश्चति करना क रयिल एस्टेट परयिोजनाएँ नरिधारति समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएँ।
 - परयिोजनाओं से संबंघति वविादों को शीघरता से हल करना।
 - कानून के प्रावधानों और प्राधकिरण के आदेशों को लागू करना।

रयिल एस्टेट (वनियिमन और वकिस) अधनियिम (RERA),

- यह वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारति एक अधनियिम है जो 1 मई, 2017 से पूरी तरह से लागू हुआ।
- इसका उद्देश्य रयिल एस्टेट की बकिरी/खरीद में दक्षता और पारदर्शति लाकर घर-खरीदारों की सुरक्षा के साथ-साथ रयिल एस्टेट क्षेत्र में नविश को बढ़ावा देना है।
- यह अधनियिम रयिल एस्टेट क्षेत्र के वनियिमन के लयि प्रत्येक राज्य में रयिल एस्टेट नयामक प्राधकिरण (RERA) की स्थापना करता है और शीघर वविाद समाधान के लयि एक नरिणायक नकिय के रूप में भी कार्य करता है।